FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) .... मुकाम ....

सन्तोराम .... बनाम ढीकमाराम वगेरा ....

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLR Act .... नं. 224/2020 .... सन् 2020 ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/8/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रवेताराम vikas ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/9/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 07/10/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
07/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 28/10/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 04/11/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:55:43 IST
Reason: SelfAttested

04/11/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण ... नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षी-गणों के खातेदारी खेत पास-पास व लेवा लेव आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बिच जो पुरानी मार्ड व कोठे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेंनो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेंनो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेंनो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है जिसमें तहसीलदार बायतु विफल रहे। इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:55:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 939 दिनांकः– 5/11/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.सताराम पुत्र भूराराम निवासी जोगासर कुआ छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर		1. टीकमाराम पुत्र वागाराम निवासी जोगासर कुआ छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या224/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा जोगासर कुआ पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 698/107, 699/107, 695/264 रकबा 1.7798, 2.8800, 2.7830 हैक्टर व मौजा मूलाणी पटवार हल्का चौखला के खेत खसरा नम्बर 683/556 रकबा 5.0077 हैक्टयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने मे राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपये 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

व्यास
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2020/ 940-944 दिनांकः– 5/11/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी छीतर का पार / चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सताराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण टीकमाराम वगैरा
5. थानाधिकारी , पुलिस थाना , गिडा/बायतु/नागाणी।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:55:43 IST
Reason: SelfAttested